JALAUN POLICE

दिनांक – 10.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का बिवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम –वादी श्री भरतलाल गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दयाल निवासी मु0 गोपालगंज कोतवाली उरई की पुत्री के साथ के उसके ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करना व मारपीट करने के संबन्ध में वादी की तहरीर पर कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 2446/2017 (वाद संख्या – 187/2017) धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1. राजा विशाल सिंह पुत्र श्री रामरतन 2. रामरतन पुत्र स्व श्री रामरतन 3. श्रीमती गीता पत्नी रामरतन निवासी गोपालगंज कोतवाली उरई तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 10.12.2025 को मा0 सिविल जज जू0डि0/एफटीसी सीएडब्ल्यू कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजा विशाल को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 15,00/- रूपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्त रामरतन उपरोक्त दोषी पाते हुये 01 वर्ष का कारावास व 1,00/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अभियुक्ता श्रीमती गीता उपरोक्त को दोषमुक्त किया गया है।

प्रकरण द्वितीय – अभियुक्त शैलेन्द्र पाल पुत्र फूल सिंह पाल निवासी मु0 मालवीय नगर कस्बा व थाना माधौगढ द्वारा पवन कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मु0 मालवीय नगर माधौगढ के साथ मारपीट व जातिसूचक शब्दों के प्रयोग करने की कारित की गयी घटना के संबन्ध में पीडित/वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली माधौगढ में मु0अ0सं0 133/2020 (वाद संख्या – 104/21) धारा 323/504 भादवि व 3(1) द, ध एससी एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त शैलेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 10.12.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पे0 एससी/एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।